

प्रातवादागण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता वादी व श्री अर्जुन सिंह नगरूका अधिवक्ता प्रतिवादी एवं राजपैरोकार होकर हुकम दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का यह वादपत्र खारिज किया जाता है।

3
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

लीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस
मुकदमें के मय सूद वशरह से
तारीख वसूलयाबी तक

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 2/05/2026 को जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सुपरीम कोर्ट अधिकारी, एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा